

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दविस

स्रोत: SCI

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) की स्थापना 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और इसने पुराने संसद भवन से कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 1958 में यह अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने किया था।

- सर्वोच्च न्यायालय में शुरू में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 7 अवर न्यायाधीशों की परकिलपना की गई थी, लेकिन वर्ष 2024 तक इसकी संख्या को बढ़ाकर एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश कर दिया गया है, जनिहें राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा वे 65 वर्ष की आयु में सेवानवृत्त होंगे।
 - पात्रता में भारतीय नागरिक होना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तथा, अधविकता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, या राष्ट्रपति की राय में प्रतषिठति वधिवित्ता होना शामिल है।
- वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में मूल प्रतमि की जगह एक नई "लेडी ऑफ जस्टिस" की प्रतमि का अनावरण किया गया। साड़ी पहने और बनि आँखों पर पट्टी बांधे, यह प्रतमि तराजू और भारतीय संवधिन पकड़े हुए है।
 - मूल प्रतमि के वपिरीत, जो आँखों पर पट्टी, तराजू और तलवार के साथ [?] (रोमन देवी) पर आधारति थी, नई प्रतमि की खुली आँखें दर्शाती हैं ककानून अंधा नहीं है और कानून की नज़र में सभी समान है।
 - भारतीय संवधिन तलवार की जगह लेता है, जो न्याय में इसकी सर्वोच्चता पर बल प्रदान करता है।
- वर्ष 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चनिह का अनावरण किया जाएगा, जो इसके 75वें वर्ष को चहिनति करेगा। ध्वज में अशोक चकर, सर्वोच्च न्यायालय भवन और संवधिन की पुस्तक को दर्शाया गया है, जिसके प्रतीक चनिह पर "[?] लखिा है, जिसका अर्थ है "जहाँ धर्म है, वहाँ वजिा है।"

भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

इतिहास

रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई

1773

मद्रास उच्चतम न्यायालय

बम्बई उच्चतम न्यायालय

1800

1823

उच्च न्यायालय अधिनियम ने उच्च न्यायालयों का सृजन किया, उच्चतम न्यायालयों को समाप्त कर दिया

भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय संघीय न्यायालय

1861

1935

1950

भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना (अनुच्छेद 124)

संरचना

- ④ **संख्या:** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश
- ④ **योग्यता:** भारतीय नागरिक; 5 वर्ष के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/10 वर्ष के लिये अधिवक्ता/प्रतिष्ठित न्यायविद्
- ④ **कार्यकाल:** 65 वर्ष की आयु तक (जब तक वह इस्तीफा नहीं देता है/राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता)
- ④ **वेतन:** संसद द्वारा निर्धारित
- ④ **महाभियोग:** राष्ट्रपति द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन पर

क्षेत्राधिकार

मूल, रिट, अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार

- ④ **मूल:** सरकार और राज्यों के बीच विवाद (अनुच्छेद 131); संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32)
- ④ **रिट:** मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने के अधिकार (अनुच्छेद 139)
- ④ **उच्च न्यायालयों से अपील:**
 - ④ संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132)
 - ④ सिविल मामले (अनुच्छेद 133)
 - ④ आपराधिक मामले (अनुच्छेद 134)
 - ④ विशेष अवकाश (अनुच्छेद 136; **विवेकाधीन शक्ति**)
- ④ **सलाहकार:** राष्ट्रपति की सलाह (अनुच्छेद 143)

अन्य शक्तियाँ

अभिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक व्याख्या आदि।

- ④ **अनुच्छेद 129:** अवमानना हेतु दंडित करने की शक्तियाँ
- ④ **अनुच्छेद 137:** उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा
- ④ **अनुच्छेद 141:** उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं
- ④ **अनुच्छेद 142:** उच्चतम न्यायालय के आदेश और अध्यादेश लागू करने का अधिकार
- ④ **अनुच्छेद 147:** उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है

उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश

- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश:** आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- **तदर्थ न्यायाधीश:** कोरम संबंधी मुद्दों के लिये मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त
- **सेवानिवृत्त न्यायाधीश:** मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त कर सकते हैं



Drishti IAS

और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष](#)

